

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022021-225247 CG-DL-E-18022021-225247

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] No. 78] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 2021/माघ 29, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 2021/MAGHA 29, 1942

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली,18 फरवरी, 2021

# सं. 24/2021-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.िन. 118(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 61/94-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे का.आ. 828(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में आगे और भी निम्नलिखित संशोधन करता है, नामश:----

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 6, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टियां अंतर्विष्ट की जाएंगी, नामश:-

1006 GI/2021 (1)

क्र. संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वायु पत्तन	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
"6क.	हरियाणा	अम्बाला	(क) निम्नलिखित की उतराई -
			(i) रक्षा कर्मियों का सामान;
			(ii) रक्षा मंत्रालय से सम्बंधित आयातित
			माल।
			(ख) निम्नलिखित की लदाई -
			(i) रक्षा कर्मियों का सामान;
			(ii) रक्षा मंत्रालय से सम्बंधित निर्यात
			माल।" ;

(ख) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ख) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के बाद और कॉलम (4) में, निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियां अंतर्विष्ट की जाएंगी, नामश:-

क्र. संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वायु पत्तन	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
		"(ग) पठानकोट	(क) निम्नलिखित की उतराई -
			(i) रक्षा कर्मियों का सामान;
			(ii) रक्षा मंत्रालय से सम्बंधित आयातित
			माल।
			(ख) निम्नलिखित की लदाई -
			(i) रक्षा कर्मियों का सामान;
			(ii) रक्षा मंत्रालय से सम्बंधित निर्यात
			माल। " ;

(ग) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ड़) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के बाद और कॉलम (4) में, निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियां अंतर्विष्ट की जाएंगी, नामश:-

क्र. संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वायु पत्तन	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
		"(च) हिंडन	(क) निम्नलिखित की उतराई -
			(iii) रक्षा कर्मियों का सामान;
			(iv) रक्षा मंत्रालय से सम्बंधित आयातित माल।
			(ख) निम्नलिखित की लदाई -
			(iii) रक्षा कर्मियों का सामान;
			(iv) रक्षा मंत्रालय से सम्बंधित निर्यात

	-
	माल। "।
	41/11

[फा. सं. 394/73/2020-सीमा शुल्क (एएस)]

शरद श्रीवास्तव, निदेशक

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 61/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को का.आ.सं. 828(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित की गयी थी तथा इसमेंअंतिम बार अधिसूचना संख्या 51/2018-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 08 जून, 2018, जिसे सा.का.नि. 534(अ), दिनांक 08 जून, 2018 के तहत भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th February, 2021

No. 24/2021-Customs (N.T.)

G.S.R. 118(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 61/94-CUSTOMS (N.T.) dated the 21<sup>st</sup> November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994, namely:—

In the said notification, in the Table,

(a) after serial number 6, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	State/ Union Territory	Airport	Purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
"6A.	Haryana	Ambala	(a) Unloading of –  (i) baggage of defence personnel;  (ii) imported goods related to Ministry of Defence.  (b) Loading of -  (i) baggage of defence personnel;  (ii) export goods related to Ministry of Defence.";

(b) against serial number 13, in column (3), after item (b) and the entries relating thereto and in columns (4), the following item and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	State/ Union Territory	Airport	Purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
		"(c) Pathankot	<ul> <li>(a) Unloading of –</li> <li>(i) baggage of defence personnel;</li> <li>(ii) imported goods related to Ministry of Defence.</li> <li>(b) Loading of -</li> <li>(i) baggage of defence personnel;</li> <li>(ii) export goods related to Ministry of</li> </ul>

	Defence. ";

(c) against serial number 16, in columns (3), after item (e) and the entries relating thereto and in columns (4), the following item and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	State/ Union Territory	Airport	Purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
		"(f) Hindon	(c) Unloading of –  (i) baggage of defence personnel;  (ii) imported goods related to Ministry of Defence.  (d) Loading of -  (i) baggage of defence personnel;  (ii) export goods related to Ministry of Defence. ".

[F. No. 394/73/2020-Cus(AS)]

SHARAD SRIVASTAVA, Director

**Note:-** The principal notification No.61/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 828(E), dated the 21st November, 1994 and last amended by notification number 51/2018-Customs (N.T.) dated the 08th June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 534(E), dated the 8th June, 2018.